[illegible]	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–109 / 2021

सी०एन०टी० एक्ट की धारा–46(1)(B) अंतर्गत

श्री विनोद राम वगैरह – विक्रेता

प्रति

श्रीमती पिंकी कुमारी – क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) (1) श्री विनोद राम, (2) मनु राम, पिता जगदीश राम, ग्राम–टण्डवा, पोस्ट+थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा में मौजा–टण्डवा, थाना नं०–338 के अन्दर खाता सं०–237, प्लॉट सं०–867, **कुल रकबा–0.04 एकड** भूमि क्रेता श्रीमती पिंकी कुमारी, पति श्री सुजित कुमार दास, ग्राम–टण्डवा, पोस्ट+थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा को भूमि विक्री करने की माँग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा–46(1)(B) के अंतर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त खाता–प्लॉट की भूमि हेतु आम सूचना निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, गढ़वा एवं उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा का जाँच प्रतिवेदन के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक (विक्रेता) के माता (यशोदा देवी पति जगदीश राम) के नाम से मांग पंजी–II के पृष्ट सं०–99 / 5 पर मांग चलता है। उपर्युक्त भूमि आवेदक (विक्रेता) के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में है।

अंचल अधिकारी, गढ़वा के पत्रांक–1516, दिनांक–31.12.2021 एवं उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक–03, दिनांक–08.01.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन तथा आम सूचना प्राप्त हुआ है। विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस भूमि को विक्री करने के संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि आवेदक (विक्रेता) एवं क्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी हैं। विक्रेता जाति के दुसाध (अनुसूचित जाति) एवं क्रेता जाति के दबगर (अनुसूचित जाति) के सदस्य है। उक्त भूमि रैयती / खरीदगी खाते की भूमि है।

अतः अंचल अधिकारी, गढ़वा एवं उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक (विक्रेता) (1) श्री विनोद राम, (2) मनु राम, पिता जगदीश राम, ग्राम–टण्डवा, पोस्ट+थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा को क्रेता श्रीमती पिंकी कुमारी, पति श्री सुजित कुमार दास, ग्राम–टण्डवा, पोस्ट+थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा को निम्नांकित भूमि विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
टण्डवा	338	237	867	0.04	उ०–कच्ची रास्ता, द०–जयराम दास वो लखपत गोसाई, पु०–यशोदा देवी, प०–विजय महतो वो अयोध्या महतो
			कुल रकबा :–	0.04	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

18/1/22

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा।

18/1/22

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा।

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.05 16:12:03 +05:30
Location: 192.168.36.160

Scanned with CamScanner